UPBJ010035232023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 683/2023

सरकार **बनाम** अल्ताफ आदि।

मु0अ0सं0– 55/2020
धारा– 307/34 भा0दं0सं0
थाना– नगीना,
जिला– बिजनौर।

<u>18.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण अल्ताफ, शहजाद व वसीम मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक–18.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण अल्ताफ, शहजाद व वसीम के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 307/34 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। मुकदमा वादी/साक्षी के समन जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 31.08.2023 को पेश हो।

दिनॉक–18.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बि[illegible]

Digitally signed by Nijender Kumar
Date: 2023.08.18 16:39:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

J.O. CODE NO – UP2681

UPBJ010035232023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 683/2023

सरकार **बनाम** अल्ताफ आदि।

मु0अ0सं0– 55/2020
धारा– 307/34 भा0दं0सं0
थाना– नगीना,
जिला– बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं निजेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, बिजनौर आप **अभियुक्तगण अल्ताफ, शहजाद व वसीम** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

<u>प्रथमः</u> यह कि दिनांक 16.02.2020 को किसी समय बहद बढ़ापुर रोड पर ईदगाह के सामने वाली सड़क पर अन्तर्गत थाना क्षेत्र नगीना, जिला बिजनौर में आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर ऐसे आशय एवं ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि आपके उक्त कृत्य से पुलिस पार्टी में से किसी की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते और इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है ,जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक–18.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक–18.08.2023

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681